निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र 1940 (श0)

(सं0 पटना 335) पटना, शुक्रवार 13 अप्रील 2018

सं० 9 स्था0 नि0 को0 (01)–08/2015

वित्त विभाग

संकल्प

11 अप्रील 2018

विषयः– वित्त विभाग के अधीन अंकेक्षण निदेशालय के लिए निदेशक का 01(एक) गैर संवर्गीय पद तथा बिहार अंकेक्षण सेवा के पदसोपान के विभिन्न कोटि के 1146 आवश्यक पदों के सृजन एवं पूर्व के पदसोपान में स्वीकृत/सृजित 223 पदों को प्रत्यार्पित किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं वित्त पोषित अन्य संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु वित्त विभाग के अन्तर्गत अंकेक्षण संगठन की स्थापना 1953 में की गई थी। 5^{th} फिटमेंट कमिटि के प्रोन्नति समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग एवं अन्य स्टडी ग्रुप्स द्वारा अंकेक्षण संगठन की संरचना एवं कार्य प्रणाली महालेखाकार के अनुसार करने, संख्या बल में वृद्धि करने, महालेखाकार के अनुसार अंकेक्षण संवर्ग का पद सोपान करने एवं अंकेक्षण संगठन को उच्चाधिकार प्राप्त निदेशालय के रूप में गठित करने की अनुशंसा की गई है। पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के अंकेक्षण हेतु 13वें एवं 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया जो 11 जून 2015 से कार्यरत है।

राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वित्त विभाग के अन्तर्गत अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया जिसके तहत सामान्य अंकेक्षण एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण कार्य करेगें । इसकी अधिसूचना बिहार गजट के असाधारण अंक (सं0–324 दिनांक 20.04.2017) में प्रकाशित की गई। साथ ही अंकेक्षण संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार अंकेक्षण सेवा की घोषणा करते हुए "**बिहार अंकेक्षण सेवा नियमावली, 2017**" की अधिसूचना बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की गई। (सं0–209 दिनांक 20.03.2017) पद सोपान के विभिन्न पदों का वेतनमान सातवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित की गई जिस पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

(2) वर्त्तमान में उपलब्ध संख्या बल से सामान्य अंकेक्षण के तहत मात्र 1 प्रतिशत कार्यालयों का ही अंकेक्षण हो पा रहा था। उपलब्ध संख्या बल से स्थानीय निधि ईकाइयों के मात्र 1.5 प्रतिशत कार्यालयों अथवा संस्थाओं का अंकेक्षण हो पा रहा था। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है। सभी सरकारी कार्यालयों एवं स्थानीय निधि संस्थाओं का लगातार अंकेक्षण होता रहे, यह सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक प्रतीत हुआ की संख्या

बल में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जाए। स्थानीय निधि संस्थाओं का आंतरिक अंकेक्षण उनके प्रशासी विभाग द्वारा भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रति वर्ष कम से कम 25 प्रतिशत स्थानीय निधि ईकाइयों का बाह्य अंकेक्षण हो सके, इसके अनुरूप स्थानीय निधि अंकेक्षण हेतु संख्या बल निर्धारित किया गया। इसी तरह सामान्य अंकेक्षण हेतु स्वीकृत संख्या बल में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जोखिम विश्लेषण के आधार पर अधिक जोखिम वाले ईकाइयों का प्रतिवर्ष अंकेक्षण हो, मध्यम जोखिम वाले ईकाइयों का दो साल में एक बार एवं कम जोखिम वाले ईकाइयों का 4–5 वर्ष में एक बार अंकेक्षण किया जा सके।

(3) स्वीकृत पदसोपान में पूर्व के पदसोपान में से केवल **अंकेक्षक** का पद ही रखा गया है। इसके लिए 289 पद पूर्व से स्वीकृत है। वर्त्तमान पदसोपान में इस पद के लिए 595 पद की आवश्यकता थी। चूंकि पूर्व से सामान्य अंकेक्षण के लिए 289 पद सृजित हैं, अतः मंत्रिपरिषद् द्वारा सामान्य अंकेक्षण के लिए 181 पद एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण के लिए 125 पद अर्थात कुल 306 अतिरिक्त नये पद सृजित किए गए।

मुख्यालय एवं प्रमंडलीय स्तर पर निदेशालय की संरचना चित्रांकन के माध्यम से दर्शाया गया है।(अनुलग्नक संलग्न) चूँकि निदेशालय की संरचना विकेन्द्रित है, अतः मुख्यालय एवं प्रमंडलीय स्तर पर नीचे लिखे विवरण में अंकित पदों का सृजन किया गया :–

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतन स्तर	सृजित किये गए पदों की सं0				कार्य	अभ्युक्ति
			सामान्य अंकेक्षण	स्थानीय निधि अंकेक्षण	मुख्यालय एवं प्रमंडल स्तर पर संयुक्त रूप से प्रस्तावित पद	कुल		
1	निदेशक (गैर संवर्गीय पद)					1	नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय एव पर्यवेक्षण।	गैर संवर्गीय पद। निदेशालय के प्रमुख का पदनाम ''निदेशक'' होगा। इस पद पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष सचिव एवं उससे अन्यून स्तर के पदाधिकारी का किया जाएगा। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा सेवा या भारत सरकार के समकक्ष सेवा के किसी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।
2	संयुक्त निदेशक	13	1	1	–	2	नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय एव पर्यवेक्षण।	प्रोन्नति का पद।
3	उप निदेशक	12	3*	3**	8***	14	अंकेक्षण कार्यक्रम निर्गत करना, स्थापना के कार्य, अंकेक्षण आपत्ति का विलोपन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वय।	प्रोन्नति का पद। *मुख्यालय स्तर पर सामान्य अंकेक्षण के लिए उप निदेशक का 03 पद। **मुख्यालय स्तर पर स्थानीय निधि अंकेक्षण के लिए उप निदेशक का 03 पद। ***प्रमंडल स्तर पर 07 एवं मुख्यालय स्तर पर 01।

4	वरीय अंकेक्षण अधिकारी/ सहायक निदेशक	11	63*	34**	01***	98	अंकेक्षण निदेशालय के परीक्षा शाखा में मुख्य परीक्षक, अनुपालन शाखा में पटल प्रभारी, अंकेक्षण कार्यक्रम का निर्माण, क्षेत्र में अंकेक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण, स्थापना, बजट, वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी। विशेष परिस्थिति में अंकेक्षण दल का नेतृत्व।	प्रोन्नति का पद। *प्रमण्डल स्तर पर सामान्य अंकेक्षण के लिए सहायक निदेशक का 08 पद। ** प्रमण्डल स्तर पर स्थानीय निधि अंकेक्षण के लिए सहायक निदेशक का 08 पद। ***मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक का 01 पद।
5	अंकेक्षण अधिकारी	8	125	45	—	170	अंकेक्षण प्रतिवदेन की जाँच का कार्य, क्षेत्र में अंकेक्षण दल का नेतृत्व।	प्रोन्नति का पद।
6	सहायक अंकेक्षण अधिकारी	7	225	50	—	275	क्षेत्र में अंकेक्षण दल का नेतृत्व।	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का पद।
7	वरीय अंकेक्षक	6	225	56	—	281	क्षेत्र में अंकेक्षण का कार्य। विशेष परिस्थिति में अंकेक्षण दल का नेतृत्व करना। परीक्षा शाखा में परीक्षक के कार्यों में सहयोग।	प्रोन्नति का पद।
8	अंकेक्षक	5	181	125	—	306	क्षेत्र में अंकेक्षण का कार्य, परीक्षा शाखा में परीक्षक एवं अनुपालन शाखा में पटल प्रभारी के कार्यों में सहयोग।	मूल कोटि का पद।
	कुल—		**823**	**314**	**09**	**1146**		

(4) पूर्व से स्वीकृत/सृजित निम्नलिखित पदों को प्रत्यार्पित किया गया :–

क्र0 सं0	पद का नाम	पूर्व से स्वीकृत/सृजित पदों की संख्या	प्रत्यार्पित पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	वरीय अंकेक्षक – 2	144	144	
2	वरीय अंकेक्षक – 1	49	49	
3	उप लेखा नियंत्रक	23	23	
4	लेखा नियंत्रक	7	7	
	कुल–	**223**	**223**	

(5) अंकेक्षक (मूल कोटि) एवं सहायक अंकेक्षण अधिकारी (मूल कोटि) से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति उनके सेवा शर्त के अनुरूप निर्धारित मानक अर्हता, एवं कालावधि की समय सीमा पूर्ण करने के उपरान्त स्वच्छ सेवा के आधार पर दी जा सकेगी।

(6) उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप संभावित अतिरिक्त व्ययभार कुल रू0 73,40,17,008/– (तिहत्तर करोड़ चालीस लाख सत्तरह हजार आठ रूपये) मात्र होगा, जिसका विकलन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित बजट शीर्ष के अन्तर्गत किया जायेगा। संभावित व्यय विवरणी संलग्न।

(7) प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 27.03.2018 को मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या– स्था0 नि0 को0 (01)–08/2015–101/टि0

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
राहुल सिंह,
सरकार के सचिव।

अंकेक्षण निदेशालय के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अनुमानित बजट की विवरणी :–

क्र0 सं0	पद का नाम	पदों की सं0	वेतन स्तर	अनुमानित व्यय * विवरणी (एक वर्ष के लिए रूपये में)	अभ्युक्ति
1	संयुक्त निदेशक	02	13	35,66,040.00	
2	उप निदेशक	14	12	1,68,92,064.00	
3	वरीय अंकेक्षण अधिकारी/सहायक निदेशक	98	11	10,24,49,592.00	
4	अंकेक्षण अधिकारी	170	8	12,58,14,960.00	
5	सहायक अंकेक्षण अधिकारी	275	7	19,29,80,700.00	
6	वरीय अंकेक्षक	281	6	15,31,19,148.00	
7	अंकेक्षक	306	5	13,91,94,504.00	
			कुल–	**73,40,17,008.00**	

(तिहत्तर करोड़ चालीस लाख सत्तरह हजार आठ रूपये)

*अनुमानित व्यय का निर्धारण पुनरीक्षित वेतन के मूल वेतन के आधार पर, मकान भाड़ा भत्ता, महँगाई भत्ता 5%, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता पर महँगाई भत्ता को जोड़ने के उपरान्त आकलित की गई है।

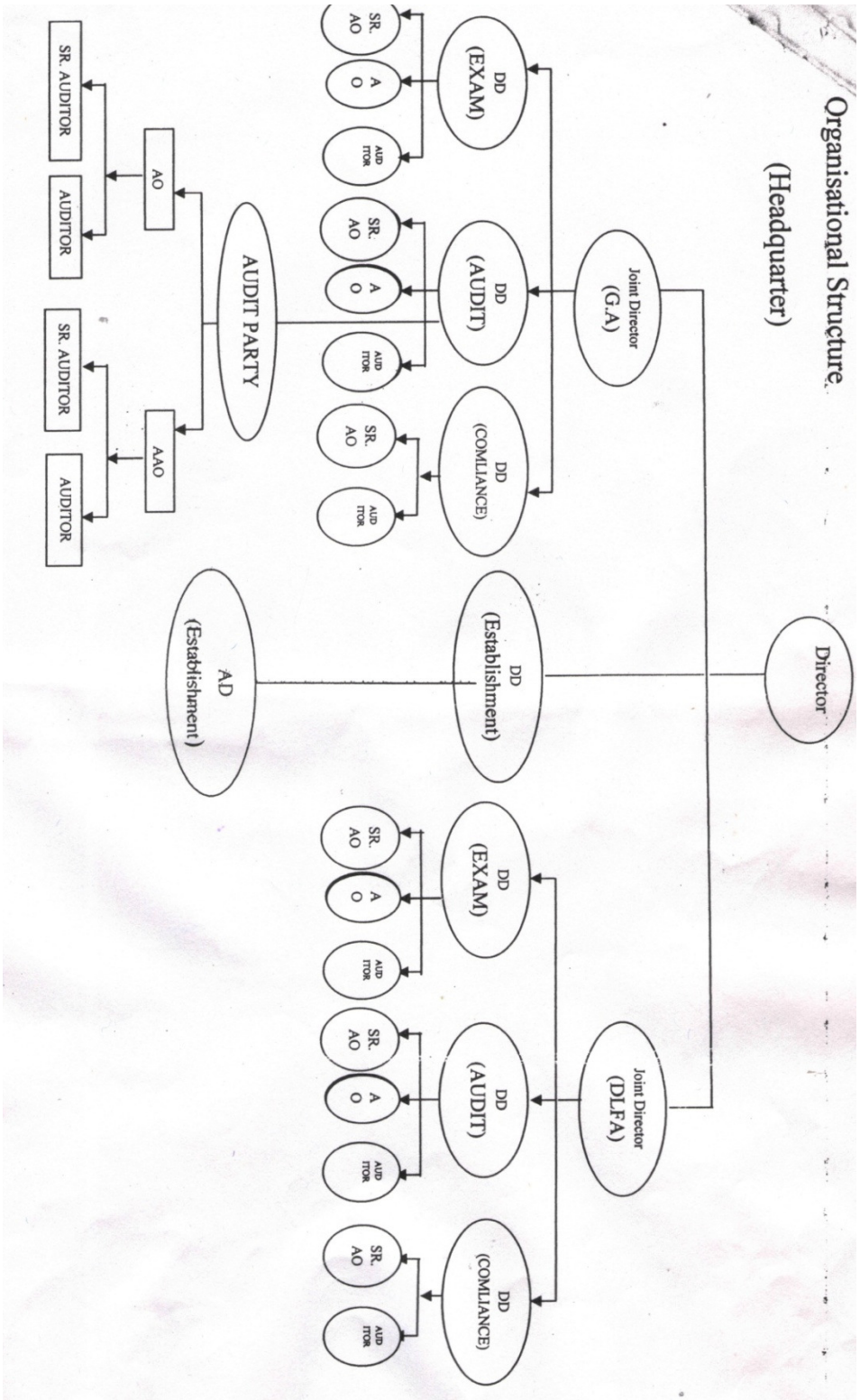
Organisational Structure
(Headquarter)
Director
Joint Director (G.A)
Joint Director (DLFA)
DD (EXAM)
DD (AUDIT)
DD (COMLIANCE)
DD (Establishment)
AD (Establishment)
AUDIT PARTY
AO
AAO
SR. AUDITOR
AUDITOR
SR. AUDITOR
AUDITOR
SR. AO
A O
AUD ITOR

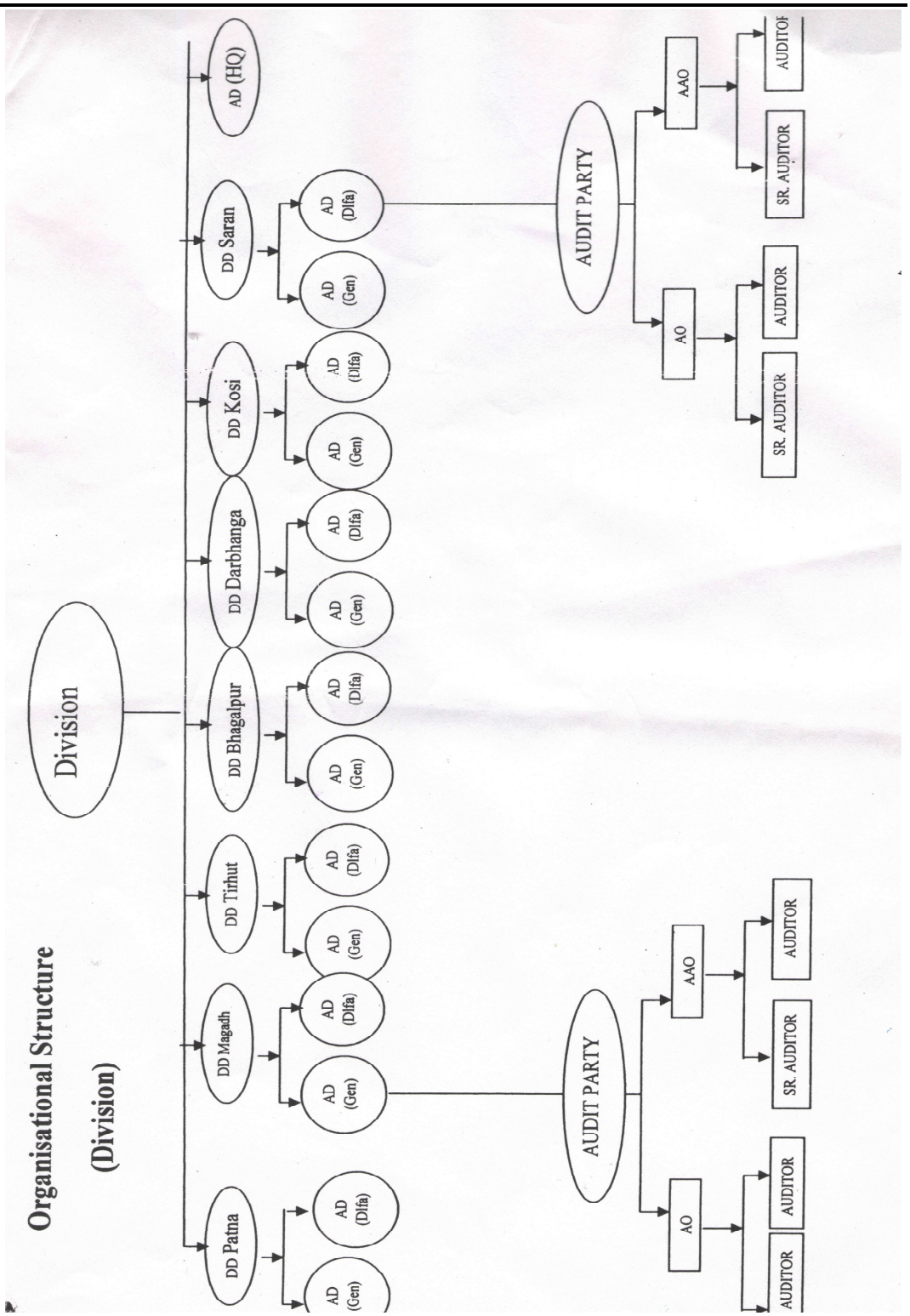

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 335-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in